रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. [illegible] (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 397] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 28, 1980/भाद्र 6, 1902
No. 397] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 28, 1980/BHADRA 6, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1980

का. आ. 694(अ)/18खख/आई.डी.आर.ए./80 :—यत: भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 634 (अ) 18एए/आई.डी.आर.ए./80—तारीख 23 अगस्त, 1980 द्वारा, मैसर्स शिवराज फाईन आर्ट लिथो वर्क्स, नागपुर, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) का प्रबन्ध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-कक की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन, 22 अगस्त, 1983 तक, जिसमें वह दिन भी सम्मिलित है, तीन वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण कर लिया गया है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि अनुसूचित उद्योग, अर्थात् "मुद्रण जिसमें लिथो मुद्रण उद्योग भी सम्मिलित है" के उत्पादन की मात्रा में कमी को रोकने की दृष्टि से जनसाधारण के हित में ऐसा करना आवश्यक है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 18-ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार यह घोषित करती है कि इस आदेश के निकाले जाने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाओं ; सम्पत्ति के हस्तांतरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से सम्बन्धित हों), जिनमें कि उक्त औद्योगिक उपक्रम एक पक्षकार है अथवा जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम को लागू किए जा सकते हैं, का प्रवर्तन एक वर्ष के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से पूर्व उनके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं तथा दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे ।

[सं. 2(15)/80-सी. यू. सी.]

ब. राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 28th August, 1980

S.O. 694(E)/18FB/IDRA/80.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 634(E)/18AA/IDRA/80, dated 23rd August, 1980, the management of Messrs. Shivraj Fine Art Litho Works, Nagpur, (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) has been taken over under clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of three years upto and inclusive of the 22nd of August, 1983 ;

And, whereas, the Central Government is satisfied that in relation to the said industrial undertaking it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing fall in the volume of production of the scheduled industry, namely, "printing including litho printing industry" ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the said Act, the Central Government hereby declares that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing Orders or other instruments in force immediately before the date of issue of this Order (other than these relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the said industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking shall remain suspended for a period of one year and all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period.

[F. No. 2(15)/80-CUS]

B. ROY, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980